(137)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 327—दो/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02—11—2012 के द्वारा न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 1488/अपील/2008—09

.....

हेमन्त सिंह आत्मज श्री सोनहर सिंह
(दत्तक पुत्र स्व0 श्री दशरू सिंह)
निवासी—ग्राम महोरा, तहसील पुष्पराजगढ़,
जिला—अनूपपुर (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

गोंदिया बाई पत्नी श्री भद्दर सिंह
निवासी—ग्राम करौंदाटोला, तहसील पुष्पराजगढ़
जिला—अनूपपुर(म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 19—05—2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—11—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा गोदिंया बाई द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त दमेहड़ी के नामांतरण क्रमांक 6 आदेश दिनांक 17.04.92 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़, जिला—अनूपपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम महोरा स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 104/4, 260, 261, 305/3, 307/2

क, 303/3, 306/3 कुल 6 किता, कुल रकबा 4.520 है0 का आवेदक के पक्ष में किया गया नामांतरण निरस्त कर अपील स्वीकार किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी दमेहड़ी के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2003–04 विधिवत पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 22.06.2007 को राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम महोरा नामांतरण क्र0 6 आदेश दिनांक 17.04.1992 को निरस्त करते हुये वादग्रस्त भूमि अनावेदिका गोंदिया बाई के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया तथा अनावेदिका की अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी दमेहड़ी के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2007 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के समक्ष पेश किया, जो प्रकरण क्रमांक 1488/अपील/2008–09 पर दर्ज होकर दिनांक 02.11.2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील सारहीन मानकर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया । आयुक्त शहडोल के आदेश दिनांक 02.11.2012 के विरूद्ध आवेदक यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कतई अवलोकन व परीक्षण नहीं किया गया, जिससे आवेदक लाभ पाने से वंचित रह गया है और राजस्व निरीक्षक वृत्त दमेहड़ी द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित आदेश अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ द्वारा निरस्त करते हुये, अनावेदक के पक्ष में अपील स्वीकार करने में भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि गैर निगरानीकर्ता गेंदिया बाई का स्व0 दमरू सिंह एवं स्व0 रूनियां सबाई से कोई दूर का भी नाता नहीं है । वह कभी भी उक्त व्यक्तियों के सम्पर्क में देख–रेख के लिये सेवा सुश्रुषा के लिये दुख–सुख में नहीं और न ही मृत्यु के समय में ही सम्मिलित हुई । इसके विपरीत निगरानीकर्ता हेमन्त सिंह उसी मकान में गोद धारक माता–पिता के पास सपरिवार रहकर मिल जुलकर उक्त आराजियों पर कास्तकारी करते चले आ रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तथ्य की ओर कतई ध्यान न देते हुये, जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 17.04.1992

को नामांतरण पंजी पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़, जिला–अनूपपुर द्वारा दिनांक 22.06.2007 को निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में मात्र यह देखा जाना है कि क्या राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.04.1992 को आवेदक के पक्ष में किये गये नामांतरण को निरस्त कर एवं अनावेदक के पक्ष में वारिसाना नामांतरण के आदेश देकर अनुविभागभीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है? नामांतरण पंजी वर्ष 1991–92 ग्राम महोर की प्रविष्टि क्रमांक 6, दिनांक 11.02.1992 को देखने से स्पष्ट है कि न तो किसी हितबद्ध पक्षकार को सूचना दी गई है। यहॉ तक कि भूमिस्वामी रूनिया बाई को सूचना देने या उसके उपस्थित हने का भी कोई उल्लेख नहीं है और न ही इश्तहार के विधिवत प्रकाशन का कोई प्रमाण ही रिकॉर्ड पर है। घोर लापरवाही से एवं वैधानिक प्रक्रिया से विपरीत केवल राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण आदेश दिया है जो पूर्णतः अवैध एवं नामांतरण नियमों के विपरीत है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसे अवैधानिक नामांतरण आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। जहां तक वसीयत का प्रश्न आवेदक को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये था । अतः इस न्यायालय में उक्त वसीतय संबंधी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जा सकता । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ ने भी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ अतएव आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित आदेश का आदेश दिनांक 02.11.2012 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर